

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून के विकास खण्ड-सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत देहरादून-मसूरी मोटर मार्ग के किमी0-17.00 से ग्राम डोमगांव तक ग्रामीण सड़क (कुल लम्बाई -1.05 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.7035 है0 (वन स्वरूप) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	0.7035 हैक्टर (वन स्वरूप) सिविल /बंजर भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.7035 हैक्टर, (वन स्वरूप) सिविल /बंजर भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर. एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न पाजाति एवं व्यासवर्ग के कुल 20 वृक्ष वाधित /प्रभावित होने निहित है। जिनकी गणना एवं मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 25 पर संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक(से0नि0) लो0नि0वि0 देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -28 से 32 पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल जनपद-देहरादून के ग्राम डोमगांव की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -16 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /ग्रा0नि0वि0 एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -39 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -38 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन प्रस्ताव के प्रपत्र-23 पर चस्पा है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	उक्तानुसार।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन ₹0 2,20,000.00(रु0 दो लाख बीस हजार मात्र) का प्राक्कलन प्रपत्र-23 पर चरपा है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन ₹0 2,20,000.00 (रु0 दो लाख बीस हजार मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक 12 से 13 पर चरपा है। जो प्रस्ताव के संलग्नक-13ए पर चरपा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक 12 से 13 पर चरपा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित स्थल क्षेत्र का निरीक्षण दि0 01-12-2018 को किया गया। जो प्रस्ताव के प्रारूप - 13 ए पर चरपा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088.00 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 113 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 262.4783 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 190.8198 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 1- 414.6784 है0 / 651.6396 है0 जिला / प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 01-12-2018।

स्थान:- मसूरी,

नाम:- (कहकशां मसीम, भा0ब0से0)
प्रभासि वनीधिकारी
सरकारी मुहर
मसूरी वनप्रभाग, मसूरी